[श्री चतुरानन मिश्र]

अभिव्यक्ति पर चोट है। हम तो वहां की बात आपसे कह रहे हैं। जर्मनी, जापान जब चलेंगे, तब वहां की बात आपसे कहेंगे। हम तो आपसे इतना ही कहते हैं कि अपने श्रीमुख से इतना कहिए कि बंबई में जो ये जुल्म हो रहा है उसकी हम सख्त निंदा करते हैं।

श्रीमती सुषम स्वराज : यह तो स्पष्ट है। जिस तरह से चतुर्वेदी जी ने कहा बिल्कुल उसी तरह से मुक्त अभिव्यक्ति के पक्षधर हम हैं। उसके ऊपर किसी तरह का हमला न बरदाश्त करेंगे, न होने देंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : इसका मतलब है हैं कि माननीय सदस्या उस नेचुरोपैथी में शामिल नहीं हैं जो वहां चल रही है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : शब्दावली और शली तो मेरी रहेगी। बोल तो दिया। और किस तरह बुलवाएंगे आप।

Danger of cancer in Western Uttar Pradesh owin gto consumption of Tobacco

श्री राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार का ध्यान लोक-स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और उसके आस-पास के जिले के लोगों के लिए स्वाथ्य की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है।

महोदय- मैनपुरी में सुपारी को काटकर और उसमें कुछ अन्य वस्तुएं मिलाकर एक ऐसी तंबाकू तैयार की जाती है जिसको मैनपुरी की तम्बाकू के नाम से जाना जाता है और इसको खाने से बहुत बड़े पमाने पर मुंह का कैंसर हो जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन और आई०सी०एम० आर० ने जो सर्वे कराए हैं उनकी रिपोर्टस के आधार पर यह कहां जा सकता है कि दुनिया में सर्वाधिक मुंह के कैंसर के रोगी अगर कहीं हैं तो वह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद और उसके आस-पास के इलाकों में हैं।

मान्यवर, अभी तक तो इस तंबाकू के खाने से केवल कैंसर की ही समस्या थी, पिछले कुछ महीनों से एक नई समस्या और पैदा हो गई है। इसके उत्पाद करने वाले और वयवसायी लोग इस तंबाकू में कुछ ऐसा ड्रग मिक्स करने लगे हैं जैसे अफीम है, कोकीन है, जिसकी बजह से 15 साल से लेकर 25 साल के लड़के बड़े पमाने पर इसके ऐडिक्ट हुआ जा रहे हैं। स्कूल और कालेज जाने वाले लड़के बड़े पैमाने पर इस तंबाकू के माध्यम से ड्रग ऐडिक्स हुए जा रहे हैं और यह गंभीर समस्या पदा हो गई है। मैं आपके माध्यम से दो मांगें गवर्नमेंट से करना चाहता हूं। एक तो यह कि जो कैंसर के डाइगोनोसिस करने वाले, ट्रीटमेंट करने वाले 10 सेंटर देश में हैं, उनमें से एक भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, मैनपुरी में जहां सर्वाधिक कैंसर के रोमी हैं उत्तर प्रदेश में, वहां एक भी सेंटर नहीं है। मेरी मांग है कि मैनपुरी में एक कैंसर सैंटर स्थापित किया जाए ताकि ऐसे रोगियों का डाइगोनोसिस और ट्रीमेंट हो सके।

दूसरे, को व्यापार और उत्पादन करने वालों के केन्द्र हैं उन को सील कर दिया जाए और उनकी जांच कराई जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।

Expulsion of three students of Campion School of Bhopal for Singing National Anthem and Resultant discontent among *the students*

श्री कैलाश नारायण सारंग : (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो कैंपियन स्कूल चल रहा है, जिसके सर्वेसर्वा एक स्थानीय चर्च के फादर हैं, के बारे में एक विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, इस स्कूल के निर्माण के लिए भोपाल प्रशासन ने एक एकड़ भूमि निहायत कम दरों पर उपलब्ध कराई थी इस स्कूल में प्रवेश के लिए ईसाई बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है और जो बाकी सीटें बच जाती हैं उनके लिए जो परीक्षा का प्रावधान है उसमें ही बच्चे उत्तीर्ण होते हैं जिनके अभिभावक उच्च पदों पर हैं।

महोदय, इस विद्यालय में प्रतिदिन भगवान ईसा मसीह की प्रार्थना होती है, राष्ट्रगान नहीं होता है। पिछले काफी समय से इस स्कूल के कुछ बच्चे राष्ट्रगान को प्रार्थना के रूप में लिए जाने के लिए स्कूल के संचालकों से निवेदन कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया। अभी 22 जुलाई को इस स्कूल के छात्रों ने प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना के बाद सम्मान सहित राष्ट्रगान गाया। इससे बौखलाकर प्रबंधकों ने राष्ट्रगान गाने वाले तीन प्रमुख छात्रों शफी खान, कपिल चड्ढा और नवीन इकबाल को जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं, स्कूल से निष्कासित कर दिया है। इससे भोपाल के छात्रों में भारी असंतोष है। इन छात्रों ने स्कूल के समक्ष धरना दिया है, जलूस निकाले हैं, प्राचार्य के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। भोपाल के जिलाधीश को उन्होंने ज्ञापन दिया है। भोपाल नगर की स्थिति इस घटना से ज्यादा बिगड़ न पाए, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार तत्काल ऐसे कदम उठाए ताकि इस स्कूल में फिर इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो और सम्मान के साथ प्रार्थना के साथ-साथ राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया जाए। इसके साथ ही कैंपियन स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ और वहां के मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।

धन्यवाद।

STATEMENT BY MINISTER

Circumtances which necessitated immediate promulgation of th्e con umer Protection (Amendment) Ordinance, 1993.

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement explaining the reasons for promulgating the Consumer Protection (Amendment) Ordinance, 1993.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1993.

II. THE CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) BILL, 1993.

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं:

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 जून, 1993 को प्रख्यापित उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्यांक 24) का निरनुमोदन करती है।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को इसी विषय तक सीमित रखूंगा। मैं इस अध्यादेश को निरस्त करने के लिए अपनी बात कहूंगा क्योंकि मेरी पार्टी की तरफ से मेरे साथी इस बिल के संबंध में विस्तार से बोलने वाले हैं। दो बातें कहनी हैं। एक तो जो यह परम्परा है कि हम विधेयक सदन में लाने के बजाय पहले अध्यादेश से उसको लागू करते हैं और फिर सदन के सामने एक विधेयक के रूप में रखते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह विधेयक पिछले सत्र यानी बजट सत्र में पारित हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, समय नहीं मिला। एक महीने पहले ही जब

[श्री कृष्णलाल शर्मा]

कि यह सदन मिलने वाला है इसको आर्डिनेंस के द्वारा लागू करने का कोई अर्थ नहीं, हाउस में ला सकते थे और उस पर विचार करा सकते थे। एक तो इसका इसलिए विरोध करता हूं कि इस परम्परा को समाप्त किया जाए, मतलब कि जो विषय है उसको आर्डिनेंस से लाने के बजाए बकायदा सदन की चर्चा के बाद उसको पारित किया जाए। एक तो इस पर मेरी आपत्ति यह है।

दूसरी आपत्ति यह है कि पिछले सत्र में और इस सत्र में यह जो विधेयक ला रहे हैं इसमें कई नई धारा जोड़ी गई है। ये नई धाराएं उपभोक्ता के संरक्षण के लिए है या उनके संकट के लिए है या उनको परेशान करने के लिए है? अगर हम इस तरह की कुछ धाराएं ला रहे हैं जिससे हमारे उपभोक्ता संकट में पड़ जायेंगे, और मैं समझता हूं यही इसका मुख्य कारण है कि मैं इस का विरोध करता हूं। इसको इस समय सदन में प्रस्तुत न किया जाए। इस पर दुबारा विचार करके, इसमें संशोधन ला कर इसको लाया जाए। उदाहरण के लिए मैं धारा 24(क) की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी शिकायत एक वर्ष के भीतर अगर नहीं की गई तो उस पर विचार नहीं होगा। एक वर्ष तो गारण्टी, वारंटी का पीरियड़ होता है, एक वर्ष तो वैसे ही निकल जाता है। कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कम से कम 3 वर्ष का समय दिया गया है। एक वर्ष के बाद अगर कोई उपभोक्ता चाहता है कि हमारी शिकायत दर्ज हो, चाहे जिला पीठ में ो या प्रदेश के आयोग में हो या राष्ट्रीय ायोग में हो तो उसको पहले सभी स इस बात के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। उसको जस्टीफाई करना पड़ेगा कि मेरी कम्पलेंट में देरी क्यों हुई उसको फिर सबसे माफी मांगनी पड़ेगी कि मेरी जो कम्पलेंट है वह जस्टीफाईड है मुझे माफ कर दीजिए। एक साल के बाद कम्पलेंट फाइल करने की अनुमति द जाए। मैं समझता हूं इससे उपभोक्त को परेशानी होगी। एक तरफ से एव हाथ से सुविधा देंगे और दूसरे हा से छीन लेंगे। यह प्रावधान जो 24(क में दिया गया है निकाल देना चाहिए तीन वर्ष की अवधि होनी चाहिए ए वर्ष की नहीं। इसी कारण से मैं इसक विरोध करता हूं। मैं समझता हूं इ पर विचार करके इसे दुबारा लाय जाए।

एक बात और कह कर अपनी बा समाप्त करूंगा। जितने भी हम लो उपभोक्ता में चीजों को लेते हैं व्याप रूप से वो सेवाएं रेल सेवा और डा सेवा को इससे अलग कर देते हैं उसके बारे में तर्क यह है कि उस लिए हमने अलग से ट्राइब्यूनल बना हुए हैं। और उनको वहां पर अवस मिल जाता है। मेरा यह कहना है f किसी भी विभाग में कोई ट्राइब्यून हो उसमें उनको जाने का अवसर हो चाहिए, मौका मिलना चाहिए। लेकि इस कारण से किसी भी उपभोक्ता व जिला पीठ में या प्रदेश आयोग में र राष्ट्रीय आयोग में जाने के लिए उस प प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहि और इसलिए मेरा कहना है कि जो सेवायें, व्यापक और महत्व की सेवा हैं जिनसे हमारा उपभोक्ता त्रस्त भी और उसमें काफी लोग आ जाते इसलिए रेल सेवा, डाक तार से और कहीं कहीं डाक्टरों को भी उस रखने का सुझाव दिया गया है, इ सारी चीजों पर विचार करके, समझता हूं कि यह जो विधेयक ह लाये हैं, इसे पारित करवाना चाह हैं, स्वीकृति लेना चाहते हैं, इसके संब में मैं निवेदन करूंगा कि इसको इ समय निरस्त करके दुबारा इसको तैया करके लाया जाय तो अच्छा होगा मैं समझता हूं कि चर्चा में ये दो बातें विचार में आएंगी। इतनी बा कह कर मैं अपने डिसअप्रूवल के संक को मूव करता हूं। इस बारे में मे पार्टी के दूसरे सदस्य बोलेंगे।

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMERS AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Consumer Protection Act, 1986, be taken into consideration."

Sir, I am sure that the entire House will appreciate the concern anxiety shown by the Government. Instead of waiting for a long time to pass a regular Bill, as soon as the last Session was over, the Government brought an ordinance to fulfil the aspirations of the consumers and consumer organisations because from the Consumer Protection Council there was a unanimous request that since the Government was not able to pass the Bill, Government should take immediate steps to promulgate an ordinance. It was almost a unanimous request in the Consumer Protection Council. Not only the request was made from the Consumer Protection Council, but we have also got representations from various consumer organisations and many others who are activiely engaged in this respect that Government sould not wait till a Bill is passed in the next Session; otherwise, it will create a lot of problems in the functioning of the Consumer Forums because in certain States there were no full-time district forums and in other States there was demand for more than one forum in one district because the number of cases was large. Moreover, in some States they have already started the process of selection of members. In the initial stage in many States actually they have not shown the desired attention to find out suitable persons for the Consumer Redressal Forums. That is why in this Bill we are making a provisions for a Selection Committee for the selection of the members of district forums. So unless by way of an ordinance that provision is introduced, the process of selection will remain incomplete in the States and the purpose of making a provision for Selection Committee will be totally a futile exercise. Because of the unanimous request got from the Consumer Protection Council and also the innumerable representations got from various active consumer organisations by the Government and in order to fulfil their aspirations the Government promulgated the ordinance without waiting for the Bill being passed by both the Houses of Parliament. I think the House will appreciate the sincerity and concern of the Government in bringing the ordinance: We thought that the Members would appreciate our concern and sincerity and that is why, instead of waiting till the session, we immediately promulgated the Ordinance. That is the main thing. I am sure that after hearing this explanation hon. Members will appreciate why we took this step of promulgating the Ordinance. With these few words, I would request the hon. Members to realise our concern.

4.00 p.m.

The questions were proposed-wise

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now we will take up the Statutory Resolution and the motion for consideration of the Bill together. Shrimati Sushma Swaraj.

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन विधेयक, 1993 पर इस समय है सदन मे चर्चा चम रही है। मैं कुछ आपत्तियों, कुछ मांगों और कुछ प्रश्नों के साथ अपनी बात इस विधेयक पर रखना चाहूंगी।

उपसभाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि उपभोक्ता आंदोलन भारत में बहुत पुराना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों तक भारत का उपभोक्ता यह माने हुए था कि उसे जिस किसी भी मूल्य में कितने भी दाम में चीज मिले, कैसे भी तोल में मिले, उसको जस का तस खरीदना उसकी नियति है। यह तो 1986 में यह बिल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जब पास हुआ तो इस अधिनियम ने पहली बार यह अहसास कराया कि ऐसी वैसी चीज खरीदना उसकी नियति नहीं है बल्कि सही दाम में, सही दाम में, सही चीज

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

खरीदना उसका अधिकार है। लेकिन मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगी कि इस बिल को गति पकड़ाने में काफी समय लगा और इस बात को मैं प्रमाणित कर सकती हूं। 1986 में यह बिल पास हुआ था, कानून बना था और 1988 में मैं हरियाणा में मंत्री बनी थी और संयोग से यही महकमा संभालने का दायित्व मुझे दिया गया था— खाद्य और आपूर्ति विभाग। सन 1988 में मैंने जाकर पाया कि इस बिल के तहत गठित की जाने वाली उपभोक्ता परिषद्, जिला फोरम और राज्य फोरम का गठन तो दूर, उनके गठन की कोई प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी। 1988 में अपने कार्यकाल में मैंने उपभोक्ता परिषद बनायी और वहां जिला फोरम और राज्य फोरम का गठन किया। यह कहानी केवल हरियाणा की ही नहीं, बाकी राज्यों में भी दो-दो वर्ष आम लगे हैं, इस बिल को गति पकड़ाने में, इस बिल को अमली जामा पहनाने में। लेकिन मैं यह रिकार्ड कराना चाहूंगी कि राज्यों से ज्यादा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की भूमिका इस आंदोलन को प्रभावी बनाने में ज्यादा सराहनीय रही है। आज जो यह संशोधन मंत्री जी लाये हैं, मैं यह कहना चाहूंगी कि यह संशोधन भी उन्हीं संगठनों, जो उपभोक्ता आंदोलन के क्षेत्र में काम रहे हैं, उन्हीं स्वैच्छिक संगठनों के दबाव और कार्य के कारण ही लाया गया है। मुझे मालूम है कि उपभोक्ता परिषद की बैठक में इस क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों ने इस बिल में जो खामियां वे देखते थे, काम के दौरान जिस कठिनाई को वे अनुभव करते थे, उन अहसासात को, उन भावनाओं को वे उपभोक्ता परिषद में रखते थे और इसी के कारण वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया। इस वर्किंग ग्रुप ने अपनी जो सिफारिशात मंत्रालय के पास भेजी थी, उन्हीं सिफारिशात को आपने इस बिल के अंदर जोड़ा है और एक संशोधन के रूप में आप इसको लेकर आये हैं। जिन सिफारिशों को आपने जोड़ा है वे स्वागत के योग्य हैं और उनका हम यहां सदन में भी स्वागत करेंगे और उनमें जो कुछ उल्लेखनीय है उनका भी मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगी।

जैसे सबसे पहले यह एक अच्छा संशोधन आया है कि उपभोक्ता समूह, क्लास ऐक्शन कम्पलेंट्स जिनको कहते हैं उसका प्रावधान इस बिल में किया गया है। इसकी मैं सराहना करती हूं। पहले अगर एक ही व्यक्ति के हाथों से दस लोगों को नुकसान होता था तो कानून इस बात की पाबंदी लगाता था कि हर व्यक्ति जाकर अपना केस अलग से दायर करे। उनमें कुछ लोग केस दायर करते थे कुछ नहीं करते थे, कुछ असुविधा महसूस करते थे। लेकिन अब जो यह संशोधन लाया गया है, इस संशोधन के जरिये आपने यह तय किया है कि उपभोक्ता समूह स्वयं कम्पलेंट, शिकायत फाइल कर सकता है और एक व्यक्ति के हाथों ही उन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसके लिये सब को अलग से मामलात ले जाने की, केस दायर करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्लास ऐक्शन के तौर पर वह शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसलिये उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने में, उसको प्रभावी बनाने में आपने एक प्रभावी भूमिका निभाने का काम किया है। यह एक अच्छा उठाया गया कदम है। क्योंकि इससे जल्दी सुविधा होगी और ज्यादा से ज्यादा शिकायतें इसमें दर्ज होंगी। जो व्यक्ति अपने आप जाने में परहेज करता था, नहीं जाता था, जो एक निषेधात्मक चीज थी, एक पाबंदी थी, वह अब समाप्त होगी और उपभोक्ता समूह सामूहिक तौर पर जाकर यह शिकायत पेश कर सकेंगे। यह एक स्वागतयोग्य संशोधन है। इसी तरह से आपने इस कानून के अधिकार क्षेत्र में केवल वस्तु रख रखी थी। अगर किसी वस्तु को आपने खरीदा, वह वस्तु खराब साबित हुई तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए आप जा सकते थे लेकिन अगर आप किसी को पैसा दे कर सेवाएं लेते थे और उन सेवाओं को देने में वह नाकामयाब रहता था

या उन सेवाओं में कुछ खराबी या कमी रहती थी तो आप इस केस को कानून के तहत नहीं ले जा सकते थे क्योंकि कोई प्रावधान इस बिल में ऐसा नहीं था। पहली बार आपने गुड्ज़ के साथ साथ सर्विसेज़ को, सेवाओं को भी इस क्षेत्र में दिया है, इसके दायरे में लिया है। यह एक स्वागतयोग्य चीज़ है। इसका मैं यहां पर खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। हरियाणा में जब मेरे पास मंत्रालय की जिम्मेदारी थी तो हाऊसिंग विभाग भी था। मैंने प्रमाणिक तौर पर जा कर के देखा लोगों ने जब यह शिकायत की कि हाऊसिंग बोर्ड ने जो मकान बनाए हैं आप उनको एक बार देखें। मैं यह कहना चाहती हूं कि आप अंगुली से खरोंचिए, अंगुली से आप दीवार पर खरोंच मारिये तो भुर भुर कर के सारे के सारा रेता नीचे गिरता था। सीमेंट की जगह केवल रेता भर दिया जाता था। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव वहां का है। दिल्ली में आ कर के मैंने डी.डी.ए. के मकानों को देखा। बिलकुल वही हाल है। मकान बनते पीछे हैं और गिर पहले जाते हैं। अलाटमेंट में धांधलियां होती हैं, कंस्ट्रक्शन में और आबंटन में धांधलियां होती हैं। जो चीज़ उनको दी जाती है, जिस चीज़ का पैसा पूरा वसूला जाता है, मकान के नाम पर खंडहर हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन किसी तरह की कोई राहत उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं है। पैसा दे कर उस खंडहर में जा कर के बैठ जाइये सिर्फ यह सोच कर के जैसा है वैसा है छत के नाम पर कुछ मिल गया, आदमी उसके अन्दर चला जाता था लेकिन किसी तरह की कोई राहत उसको उपलब्ध नहीं थी। अब हाऊसिंग, सर्विसेज, अलाटमेंट, कंस्ट्रक्शन मेटिरियल, इन चीज़ों के ऊपर अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उपभोक्ता फोरम के अन्दर अपनी शिकायत दर्ज करवा कर राहत प्राप्त कर सकते हैं। यह जो आपने इसका दायरा बढ़ाया है, इसका मैं स्वागत करती हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पहले कमर्शियल यूज़ की परिभाषा थी। यदि कमर्शियल यूज़ के लिए खरीदी हुई वस्तु का नुक्सान होता है तो आप इस उपभोक्ता फोरम में नहीं जा सकते थे। अब आपने जो बात कही कि सेल्फ रोजगार में लगे हुए लोग अगर ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिससे उनकी रोजी-रोटी चलती है या ऐसी मशीनरी जिसके ऊपर काम कर के उसको रोजी-रोटी चलती है, उसमें कोई गलती पाते हैं तो उसके नुक्सान की भरपाई के लिए उपभोक्ता फोरम में अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। यह भी एक स्वागत-योग्य संशोधन है।

चौथ , संशोधन, जिसकी मैं बहुत सराहना करना चाहूंगी, जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण संशोधन मानती हूं, वह यह है कि प[illegible] बार इस उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में [illegible]पने उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार दिया है और सुरक्षा के अधिकार को मान्यता दी हैं। आज से पहले अगर आपने खुद कोई चीज़ खरीदी और वह खराब निकल गई तो उसके नुक्सान की भरपाई के लिए आप जा सकते थे लेकिन कोई भी चीज जो बाजार में है और उसका उपभोग पूरे उपभोक्ता समुदाय की सुरक्षा के लिए घातक है तो कोई प्रावधान इस बिल में ऐसा नहीं था जिसके माध्यम से आप फोरम में जा सकते थे। आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं। कहीं कोई नकली दवाएं हैं, ग्लुकोज़ या स्पूरियस ड्रग्ज़ का अंबार है, सब-स्टेंडर्ड गैस सिलेंडर बाज़ार में र तो वह कोई एक सिलेंडर [illegible] रे का पूरा गोदाम भरा हुआ है, आपको मालूम है वह उपभोक्ताओं के लिए नुक्सानदेचे चीज़, है लेकिन इस कानून में कोई प्रावधान न होने के कारण आप शिकायत दर्ज [illegible] करवा सकते थे क्योंकि उसमें यह कहा जाता था कि इसमें आपको कोई व्यक्तिगत नुक्सान हुआ है तो आप जाइये, भरपाई कर देंगे लेकिन इस तरह की चीज़ जो उपभोक्ता समुदाय के लिए सुरक्षा के लिए घातक चीज़ है जिसको हम हेज़ाडस कहते हैं वह इसमें नहीं था लेकिन मुझ इस बात की खुशी

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

है कि अब आपने सब सेक्शन 2 में उपधारा (4) (डी) के तहत उसकी भी जो उपधारा (4) है उसके आगे नयी धारा 5 जोड़ी है जिसमें आपने यह कहा है–

"goods which will be hazardous to life and safety when used are being offered for sale to the public in contravention of the provisions of any law for the time being in force requiring traders to display information in regard to the contents, manner and effect of use of such goods."

हांलांकि थोड़ी सी पाबंदी इसमें आपने लगायी है :

"...in contravention of the provisions of any law for the time being in force...

लेकिन तो भी मैं यह समझती हूं कि यह इतना स्वागत-योग्य प्रावधान है कि अब आप केवल अपने को जो नुक्सान है उसी समय पर नहीं बल्कि एसे समय पर भी जब भी कोई चीज बाजार में आ गयी जो सारे उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है तो इस नयी धारा के जुड़ने के बाद इस बिल के माध्यम से उपभोक्ता फोरम के सामने जा सकते हैं और राहत प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत ही स्वागत योग्य संशोधन है।

इसके बाद एक और संशोधन है जिसका मैं स्वागत करना चाहती हूं जिसका संशोधन आपने धारा 9 में किया है। धारा 9 में पहले यह प्रावधान था कि एक जिले में केवल एक फोरम गठित किया जा सकता है। धारा 9 डिस्ट्रिक्ट फोरम के कांस्टीटयूशन से संबंधित है। लेकिन पहली बार इन्होंने शायद इस बात को देखा कि या तो किसी जिले का फैलाव इतना ज्यादा होता है–– हमारे देश में इतने बड़े बड़े राज्य हैं और उनके कई जिले इतने बड़े-बड़े हैं कि हमारे छोटे राज्यों से ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल हैं उनका, और, एक अकेले जिले में इतनी जनसंख्या है कि वहां अम्बार लग जाता है शिकायतों का और वह जिला फोरम पूरा नहीं कर पाता है। तो आज आपने यह एक पाबंदी हटायी है कि एक जिले में एक ही फोरम होगा और यह कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो एक जिले में दो फोरम भी बना सकती है, ज्यादा फोरम भी बना सकती हैं तो आवश्यकतानुसार वह ज्यादा फोरमों का गठन कर सकते हैं। यह सुझाव भी स्वागत योग्य है। यह भी वकिंग ग्रुप की की हुई सिफारिश थी जिसको आपने माना हैं जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

इसी तरह से आपने वित्तीय अधिकार क्षेत्र बढ़ाया है। धारा 11 और 17 दोनों में आपने संशोधन किया है, जहां स्टेट के वित्तीय अधिकारों का जिक्र हैं और नेशनल फोरम के अधिकारों का जिक्र है। पहले पाबंदी थी कि जिला फोरम केवल एक लाख से कम तक के विषय ले सकता है लेकिन अब आपने तय किया है पांच लाख तक के यानी नाट एक्सीडिंग फाइव लेख्स रुपीज। जो आपने नया प्रावधान किया है उससे वित्तीय अधिकार बढ़े हैं, जहां मुआवजा देने की आपकी ताकत बढ़ी हैं वहीं यह जो अधिकार क्षेत्र आपका था कि पहले एक लाख से कम तक की चीज का नुक्सान होता था तो वह जिला फोरम पर आ सकता था वरना उसको राज्य फोरम पर जाना पड़ता था––आज आपने यह तय करके धारा 11 में जो संशोधन किया है कि एक लाख से कम तक नहीं बल्कि पांच लाख तक का मुआवजा क्लेम किया जा सकता हैं जिला फोरम के द्वारा और पांच लाख से बीस लाख की सीमा जो आपने बढ़ाई है राज्य की, यह भी स्वागत योग्य है। जब वित्तीय अधिकार क्षेत्र बढ़ जाते हैं तो आसान हो जाता है किसी उपभोक्ता के लिए वहां जाना इसकी भी मैं सराहना करती हूं। इसी तरह से धारा 9, धारा 16 और धारा 20 में जहां राज्य फोरम, जिला फोरम, राष्ट्रीय फोरम के गठन का प्रावधान है वहां गैर सरकारी सदस्यों के जहां चुनाव की बात आती थी तो आम तौर

पर उपभोक्ता परिषद के द्वारा जितनी भी बैठकें मैंने उनकी अटेंड की हैं शिरकत की है वहां बार-बार मैंने देखा है कि राजनीतिक दखलअंदाजी का एक आरोप बार-बार लगता हैं कि गैर सरकारी सदस्यों के चुने जाने में राजनीतिक दखलअंदाजी की जा रही है। यहां जो आपने चयन समितियों का प्रावधान किया है कि सिलेक्शन कमेटीज बना दी हैं और यह कहा है कि इन सिलेक्शन कमेटीज के माध्यम से गैर सरकारी सदस्य चुने जाएंगे, यह भी आपने उस राजनीतिक दखलअंदाजी के आरोप को कम करने की तरफ एक कदम उठाया हैं जिसका कि मैं स्वागत करना चाहूंगी।

एक बात जिसका मैं और स्वागत करूंगी, ये सारी बातें करने के बाद कि एक धारा 26 जो पहले थी उसमें केवल इतना प्रावधान था कि अगर कोई गैर जरूरी या अनावश्यक, फ्रिवोलस कम्प्लेंट आ जाती है तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। वह डिसमिस कर दी जाएगी यह तो एक स्वाभाविक परिणति थी अगर वह गलत हो तो। लेकिन अनावश्यक शिकायतों को रोकने के लिए कोई डिटरेंट प्राविजन नहीं था। पहली बार आपने धारा 26 की शब्दावली बदली है और जहां आपने उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने की तरफ कुछ कदम बढ़ाये हैं वहां अनावश्यक और गैर-जरूरी शिकायतों, फ्रिवोलस कम्प्लेंट्स का अम्बार न लगे वे ज्यादा न आयें इसके लिए एक डिटरेंट स्टैप सुझाया हैं कि अगर उनको यह लगेगा तो वे लिखित में रीजन्स रिकार्ड करेंगे, यह आपने क्वालीफाई कर दिया है। यह आपने अच्छा कर दिया है कि वे लिखित में कारण बता करके उस कम्प्लेंट को डिसमिस करते वक्त दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। यह जो एक डिटरेंट स्टैप हैं इसका भी मैं स्वागत करती हूं। अब तक तो मैं आपको कुडोज दे रही थी, आपको बधाइयां दे रही थी जो आपने काम किया। लेकिन अब मेरी कुछ आपत्तियां हैं जिनके बारे में जिक्र करना चाहूंगी। मंत्री महोदय, आपने गुड्स के साथ सर्विसेज शब्द को जोड़ा है। मैंने इसका स्वागत भी किया है। हाउसिंग की जो बात आपने कही उसमें थोड़ा सा विस्तत बात कहकर मैंने उसका स्वागत किया है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि इन सर्विसेज शब्द को जोड़ने के बाद वे तमाम आवश्यक सेवाएं जिनकी इनइफीशियंसी से जिनकी गैर-कायकुशलता से उपभोक्ता परेशान रहते हैं उन तमाम सेवाओं को आपने इस कानून के अधिकार क्षत्र से बाहर क्यों रखा है। जसे परिवहन है, ट्रांसपोट है, बिजली है। टेलीफोन है, नगरपालिका है, सरकारी अस्पताल हैं।

अभी मेरे वरिष्ठ साथी, श्री कृष्ण लाल जी रेलवे और डाक का जिक्र कर रहे थे। अब रेलवे और डाक में तो इनकी थोड़ी सी दिक्कत यह आ गई कि वह नेशनल फोरम के अपने निर्णय है, उन सेवाओं को इस कानून के दायरे में लेने के खिलाफ आ गये।

शायद आपने पढ़ा भी हो, पीछे के दो केसेज हुए हैं, एक तो रेलवे का केस हुआ। मद्रास का केस था, शायद यहां मेरे मद्रास के बैठे हुए कुछ साथियों को पता हो—एक केस दायर हुआ था, किसी उपभोक्ता ने दायर किया था। वहां तिरुनेलवेली नाम से एक जगह है, उस तिरुनेलवेली से बालासोर तक कोई गुड्स उसने भेजे थे, लेकिन वह रास्ते में खो गये, पहुंचे नहीं। जब वह रास्ते में खो गये तो उसने जाकर के जिला फोरम के अंदर शिकायत दायर की। उसने कहा कि एक उपभोक्ता के नाते रेलवे के खिलाफ शिकायत दायर करना मेरा फर्ज है और जिला फोरम ने, उपसभाध्यक्ष जी, सुनने की बात है, जिला फोरम ने राहत दे दी यह सोच करके कि रेलवे भी इसकी परिधि में आता है, जिला फोरम ने उसकी अपील पर सही निर्णय दे दिया और कह दिया रेलवे के खिलाफ उसने राहत दे दी। लेकिन उसके बाद रेलवे का विभाग अपील में जब राज्य फोरम में गया तो राज्य फोरम ने उस डिसीजन को आधा-

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

अधूरा कर दिया, थोड़ी राहत दी, थोड़ी नहीं दी। लेकिन फिर वह अपील में गये राष्ट्रीय फोरम में और मुझे इस बात का दुख है कि राष्ट्रीय फोरम ने कंप्लीट इम्मयूनिटी ग्रांट कर दी और यह कहते हुए कि रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल चूंकि अलग बना हुआ है, एक आल्टरनेट रेमेडी, एक अंदर रेमेडी अवेलेबल है, यानी एक दूसरा इलाज उपलब्ध है, इसलिए आप इस कंज्यूमर फोरम के सामने नहीं आ सकते, यह कह कर एक ऐसा निर्णय दे दिया कि जो राज्य फोरम यह अंदाजा लगाये बैठे था कि रेलवे हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है और जो इस बात को समझते हुए रेलवे के खिलाफ और निर्णय देते, उसके बाद उनके हाथ बंध गये क्योंकि उसके ऊपर की जो एपीलेट अथारिटी थी, उसका यह निर्णय आ गया कि रेलवे उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

बिलकुल ठीक इसी तरह का एक केस डाक विभाग के संबंध में भी हुआ। आपको ध्यान होगा शायद, मद्रास के एक डाक्टर ने छह सौ निमंत्रण-पत्र एक दावत के भेजे और केवल दो सौ निमंत्रण-पत्र पहुंचे। उसने जब लोगों से पता किया कि तुम क्यों नहीं दावत में आए, तो उन्होंने कहा कि आपका कोई इन्वीटेशन आया ही नहीं। तो उसको लगा कि जब बराबर लोग यह कह रहे हैं कि इन्वीटेशन नहीं आया, तो जरा पता तो करूं। तो उसने जांच करवाई और छानबीन के बाद पता चला कि वह इन्वीटेशन डिलिवर ही नहीं हुआ। उस दावत के कार्ड बंटे ही नहीं थे। तो उसको लगा कि एक उपभोक्ता के नाते उसे जिला फोरम में जाना चाहिए और वह जिला फोरम में गया और जिला फोरम ने उनको राहत दी। पोस्टल विभाग के खिलाफ उनका केस सही मायने में तय किया और राज्य फोरम ने भी राहत दी। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों फोरम्स ने यह मानते हुए कि डाक विभाग हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, उसको राहत दी।

लेकिन फिर डाक विभाग अपील में चले गये नेशनल कमीशन के सामने और राष्ट्रीय फोरम ने बिलकुल वही तर्क देकर जो तर्क रेलवे के बारे में दिया था कि पोस्टल विभाग के लिए रेमेडी अलग से उपलब्ध है और आप सिविल सूट फाईल कर सकते है, आप उसमें जाइये और उनको यह कह दिया कि वह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

तो जिस बात का जिक्र कर रहे थे कृष्ण लाल जी, उसके बारे में तो मैं तो कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय फोरम के अपने दो निर्णय ऐसे आ गये, जिसमें उन्होंने रेलवे और डाक को बाहर कर दिया, लेकिन अगर इस तर्क को हम मान लेंगे, तो इस तरह से तो फिर टेलीकास्ट सर्विसेज भी निकल जायेगी, टलीफोन सर्विसेज भी निकल जायेंगे फेक सर्विसेज भी निकल जायेंगे और आप मुझ बताइये कि दूसरा इलाज जो उपलब्ध है, अगर वह कारगर होता, तो उपभोक्ता फोरम की आवश्यकता ही क्यों महसूस होती। सिविल सूट्स में कभी किसी को समय पर राहत मिली है वर्षों-वर्षों दीवानी अदालतों में खर्च हो जाते, हैं, वकीलों को पैसा दीजिए, दसियों साल तक आप मुकदमा भुगतिये और उसके बाद डिस्ट्रिक कोर्ट के सामने अपील, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील, बीसियों साल लग जायेंगे और बीसियों साल के बाद जो दावत के लिए उसने इन्वीटेशन दिया होगा, उस दावत का पूरा प्रकरण ही समाप्त हो जाएगा शायद जिस बच्चे के जन्म-दिन पर इन्वीटेशन दिया होगा, बीस साल के बाद उस बच्चे की शादी पर कार्ड भेजदे होंगे, तब जाकर कहीं उसको राहत मिलेगी।

उपभोक्ता फोरम तो बनाया ही इसलिए गया था कि यह सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध करायेगा। अगर यह सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने के ऊपर यह तर्क बढ़ा दिया जाए कि बाकी के फोरम उपलब्ध हैं, तो यह तर्क बहुत बेहूदा लगता है मुझ और इस तर्क के चलते अगर उन फोरम्स में से इनको निकाल दिया जाए, तो इसका उद्देश्य ही विफल

हो जाएगा—यह मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वे संशोधन करके इन सर्विसेज़ को भी इसमें लायें। यह भी मेरी मांग है।

यह तो रेलवे और डाक विभाग के बारे में है, लेकिन अब मैं इनसे पूछना चाहती हूं—वर्किंग ग्रुप की एक स्पेसिफिक सिफारिश है कि सरकारी अस्पतालों को इस कानून की परिधि में लाया जाए। मैं मंत्री जी से सीधा सवाल पूछना चाहती हूं कि वर्किंग ग्रुप की बाकी सिफारिशों को मानते हुए इस सिफारिश को नजरअंदाज क्यों किया गया?

एक तर्क जरूर दिया जाता है और वह तर्क यह है कि फ्री सर्विसेज, निःशुल्क दी गई सेवायें इसके नीचे नहीं आयेंगी, इसके दायरे में नहीं आयेंगी। तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वाकई सरकारी अस्पताल निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं? वैसे तो अब जो मेडिकल टैस्ट्स पर इन्होंने चार्जेज लगाए हैं उससे इनका यह तर्क भी बेमायनी हो जाता है। अब तो अगर आप अल्ट्रा-साउंड टैस्ट कराने जाओ तो आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। अन्य कोई टेस्ट कराने जाओ तो भी रुपया देना पड़ेगा। अब तो ये सर्विसेज़ फ्री नहीं रहीं। लेकिन यह जो फ्री की बात आप करते हैं, क्या वाकई आप फ्री सर्विसेस दे रहे हैं? कहाँ से चला रहे हैं ये अस्पताल अगर वह गरीब नहीं दे रहा है तो उसका कोई सम्पन्न भाई-बहन टैक्स पेयर के नाते से, करदाता के नाते से जो पैसा आपको दे रहा है, उस पैसे से आप यह अस्पताल चला रहे हैं। सरकार अपने घर से चला रही है? या अपनी जागीरों और एस्टेटों से पैसे लगा करके मंत्री और प्रधान मंत्री ने अस्पतालों को चलाया है? कहां से आप निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं? फ्री सर्विसेज नहीं दे रहे हैं बल्कि हिन्दुस्तान के मेहनतकश आदमी के कमाए गए पैसे से दिये गए कर से, टैक्स से आप यह अस्पताल चला रहे हैं। अगर वह गरीब नहीं दे रहा है तो उसका कोई दूसरा भाई-बहन दे रहा है। अगर वह गरीब है और वह आपके पास कोई सर्विस लेने के लिए जाता है तो इसके क्या मायने हैं कि उसको कोई जीने का अधिकार नहीं है? आप उसको गिनी पिग बना करके तरह-तरह का प्रयोग हिन्दुस्तान के गरीब पर करना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि उसकी जेब में पैसा देने की ताकत नहीं है। यह कौन सा तर्क है? सिर्फ इसलिए कि वह पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए उसका कोई अधिकार नहीं है एक उपभोक्ता के नाते उस उपभोक्ता फोरम में जाने का। इसलिए आप उसको इनएफीसिएंट सर्विसेज दे सकते हैं, इसलिए आप उसको गंदा ग्लूकोज चढ़ा सकते हैं, इसलिए आप उसके टैस्ट में धांधली और गड़बड़ी कर सकते हैं। अगर धांधली और गड़बड़ी हो तो उसको रोने का भी कोई अधिकार आप नहीं देंगे। यह कौन सा तर्क है? यह कैसी सोच है? मैं कहना चाहती हूं कि आपकी यह सोच केवल अन्यायपूर्ण नहीं है बल्कि आपकी यह सोच अमानवीय भी है। इसलिए मेरी मांग है संसद् के इस फर्श पर, सदन के इस फर्श से कि आप जो संशोधन लाए हैं उसमें एक और संशोधन करके "गवर्नमेंट रन हॉस्पीटल्ज" सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को इस उपभोक्ता फोरम के दायरे में लाइये।

इसी तरह मैं नागरिक सुविधाओं के बारे में जानना चाहती हूं वर्किंग ग्रुप ने यह भग सिफारिश की थी, मैं सिविक सर्विसेज़ की बात कर रही हूं मंत्री जी, नगरपालिकाएं बिजली के दर बढ़ायेंगी लेकिन अगर किसी के घर की बिजली खराब हो जाए तो कभी कोई हफ्तों तक ठीक करने नहीं आएगा। अगर कोई स्ट्रीट लाइट या कोई बल्ब खराब हो जाए, कोई ट्यब अगर खराब हो जाए, महीनों वे बदले नही जायेंगे। सड़क अगर कहीं से टूट गई है तो उस पर पेबंद लगाने का काम नगरपालिका नहीं करेगी। जगह-जगह गंदगी पड़ी है, कूड़ा-कचरा पड़ा है उसको उठाने का काम कोई नगरपालिका नहीं करेगी, लेकिन महीने की पहली तारीख हुई नहीं कि म्युनिसिपल टैक्सेज का बिल आपके घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाएगा।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

क्यों ? अगर वह टैक्सपेयर, तरह-तरह के म्युनिसिपल कर हैं, पानी का, बिजली का, तरह-तरह के म्युनिसिपल टैक्सेज हैं जिन्हें नगरपालिकाएं वसूल करेंगी। लेकिन नागरिक सुविधाओं के नाम पर उनको शून्य प्रदान करेंगी और फिर वह उपभोक्ता रो नहीं सकेगा। वह उपभोक्ता कहीं जा करके राहत मांग नहीं सकेगा। अगर वह वहीं उपभोक्ता फोरम के अन्दर जाना चाहे तो आप उसके हाथ बांध देंगे, क्योंकि आपने संशोधन करके इन सेवाओं को उसके दायरे में दिया नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं और मेरी दूसरी मांग है कि नागरिक सुविधाओं को भी आप उसके अंदर लाइये और यह वर्किंग ग्रुप की सिफारिश में से बड़ी प्रमुख रही है, उसको आपने नजरअंदाज क्यों किया है ? यह मैं पूछना चाहूंगी और मांग करना चाहूंगी कि उसको भी आप उसके अन्दर लाइये।

इसी तरह से टेलीफोन सर्विसेज की हालत है। आप टेलीफोन की दर बढ़ाते जायेंगे, लेकिन टेलीफोन आपका खराब हो जाएगा तो आप महीनों उनके पीछे पड़े रहेंगे और आपका टेलीफोन ठीक नहीं होगा। जो सर्विसेज टेलीफोन डिपार्टमेंट स्वयं चलाता है, चाहे वह अलार्म सर्विस है, चाहे वह ट्रंककाल की सर्विस है, जो सर्विसेज जिनमें जवाब, विभाग के अधिकारियों को देना होता है, विभाग के कर्मचारियों को देना होता है, आप कभी आजमा करके देख लीजिए, आप टेलीफोन उठायेंगे तो या तो टेलीफोन एंगेज जाएगा या फिर नो रिप्लायी जाएगा। अगर वह व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर उस पर किसी ने घंटी उठा ली। वरना लगातार रिंग एंगेज जाएगी या नो रिप्लायी जाएगा। मेरा यह कहने का मतलब है कि सरकार के एकाधिकार क्षेत्र में जो सर्विसेज, जो सेवाएं चल रही हैं वे सेवाएं और उनकी कार्याकुशलता कतई शून्य है। वे रोज-रोज महंगी तो होती जा रही हैं लेकिन चूंकि प्रतियोगिता में कोई नहीं, एकाधिकार है, जैसे चाहेंगे चलायेंगे और लोगों को लेना पड़ेगा क्योंकि आप देने वाले एकमात्र हैं। कोई दूसरी प्रतियोगी संस्था है नहीं, जहां से आप वसूल कर सकते हैं। तो एकाधिकार क्षेत्र की सेवाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए तो यह कहीं ज्यादा जरुरी है कि आप उपभोक्ता फोरम के दायरे में उनको लाएं वरना पीड़ित उपभोक्ता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और एकाधिकार क्षेत्र की सरकारी सेवाएं बद-से-बदतर होती जा रही हैं। अगर आप उनको बेहतर बनाना चाहते हैं, उपभोक्ताओं को वाकई राहत देना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि आप इन सेवाओं को भी उनके अन्दर लाइए जोकि सरकार के एकाधिकार क्षेत्र में चल रही हैं तब इसकी सार्थकता और ज्यादा बढ़ेगी।

यह मेरी कुछ मांगें थीं, अब मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं। वर्किंग ग्रुप ने आपको एक सिफारिश की थी कि जो जिला फोरम, राज्य फोरम और राष्ट्रीय फोरम है, इनमें वकीलों को पैरवी करने की इजाजत मत दीजिए। मैं पूछना चाहूंगी कि इस सिफारिश को न मानने के पीछे क्या औचित्य है? हालांकि मैं स्वयं उसी व्यवसाय से आती हूं, इसलिए मैं यह बात कहूं तो उसमें ज्यादा वजन होगा। अगर कोई नॉन वकील या नॉन प्रोफेशनल इस बात को कहेगा तो वह कहेगा कि आप वकीलों के पेट पर लात मार रहे हैं, लेकिन मुझे इस तर्क में वजन दिखायी देता है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यह फोरम सस्ता और शीघ्र न्याय देने के लिए बनाए गए थे और वकील जहां जाते हैं वहां एडजोर्नमेंट्स होते हैं और तरह-तरह की तारीखों में समय जाता है और सस्ता और शीघ्र न्याय देने का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य विफल हो जाता है। इसलिए मैं जानना चाहूंगी कि इस सिफारिश को न मानने के पीछे क्या तर्क रहा है, क्या सोच है? मैं चाहूंगी कि अगर यह पाबंदी लग जाय तो सस्ता और शीघ्र न्याय वाली बात और ज्यादा सार्थक हो सकेगी।

इसी तरह से इस फोरम के जो ऑर्डर्स है या निर्देश हैं, उनके खिलाफ हाइकोर्ट में जाकर अपील कर के लोग स्टे ऑर्डर ले आते हैं। मुझे यह भी समझ नहीं आता कि इनके अपीलेट

राइट पर पाबंदी लगाने में क्या अड़चन आ रही है क्योंकि पहले हम इसे लाने के उद्देश्य देखें, ऑब्जेक्ट्स देखें वह हैं—सस्ता और शीघ्र न्याय व जल्दी राहत बिना असुविधा के । अगर वह तमाम-की-तमाम चीजें जोकि बाकी सिविल प्रक्रिया में लागू होती हैं, वह सारी प्रक्रियाएं अगर हम इन फोरम्स पर भी लागू कर देंगे तो यह उन जैसी ही एक कोर्ट बनकर रह जाएगी और अलग से इन फोरम्स की कोई सार्थकता नहीं बचेगी। तो मैं जानना चाहूंगी कि इनके पीछे क्या अड़चन है ? क्यों नहीं वकीलों पर वह पाबन्दी लगाना चाहते हैं और अपील का जो राइट है खास तौर पर जो रिट का राइट है कि 226 के नीचे जाकर लोग स्टे आर्डर ले आते हैं, उसमें पाबन्दी लागने में क्या अड़चन है? यह मेरे प्रश्न हैं ।

मैं इन प्रश्नों के साथ-साथ जो धार मंत्री महोदय ने अपने आने के बाद इन संशोधनों के माध्यम से विधेयक को दी है, उसका तो स्वागत करना चाहती हूं । जो मांगें मैंने रखी हैं, उन मांगों को मानने के बारे में वह आश्वासन देंगे, ऐसा विश्वास करती हूं और जो प्रश्न मैंने उठाए हैं, उन प्रश्नों का जवाब चाहते हुए मैं लाए हुए बिल का स्वागत करती हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधयक, 1993 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

यह बिल कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 का एक संशोधित रूप है । इससे पहले भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के तहत सुविधा मिल सके और उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायतों का अवसर न हो, इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में कई प्रकार के एक्ट समय-समय पर लाए गए हैं । इनमें एक प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954 में पास हुआ, फिर एसेंसियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में पास हुआ, ड्रग्स एंड कॉस्मोटिक्स एक्ट 1940 में पास हुआ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 में पास हुआ, मॉनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 में पास हुआ, स्टैंडर्डस आफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976 में पास हुआ और 1985 में स्टैंडर्डस आफ वेट्स एंड मेजर्स एनफोर्समेंट एक्ट पास हुआ । इसके बाद भी कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में संशोधन के लिए इसे दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है । मान्यवर, उपभोक्ता संरक्षण के प्रति दिवंगत प्रधान मंत्री राजीव जी बहुत ज्यादा चिंतित थे । और उनकी हमेशा यह मान्यता रही कि उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में परेशानीयों का सामना न करना पड़े । जब कंज्यूमर प्रोटेशन एक्ट, 1986 पर मैं इस सदन में बोल रहा था, जब भगत जी ने इसको सदन में प्रस्तुत किया था तो राजीव गांधी जी ने उस समय राजनीति में प्रवेश नहीं किया था और उन्होंने कन्ज्यूमर प्रोटेशन फोरम हर जगह बनाए थे। इसके पीछे भावना यही थी कि उपभोक्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े । वर्ष 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ , दोनों सदन ने इसको पास किया । देखने की बात यह है कि इस कंज्यूमर प्रोटेशन एक्ट, 1986 के पास होने के बाद क्या प्रगति हुई ? इसमें क्या कमियां रहीं । इन सब बातों का आंकलन करना बात जरूरी है । जब हम इस पर नजर दोड़ाते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार के कदम इस एक्ट के पास होने के बाद उठाए गए— पहले कानूनी कदम थे, दूसरे प्रशासकीय कदम थे । पहले तो यह हुआ कि इस कंज्यूमर प्रोटेशन एक्ट के पास होने के बाद जो फोरम बनने थे, उनका राज्यों में गठन हुआ केवल जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देखने की बात यह है कि जब फोरम सभ, राज्यों में गठन हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोविन्सियल लेवल पर और नेशनल लवल पर, तो क्या उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति की ? इस बात पर भी गौर करना आवश्यक है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोन्सिल 1–6–1987 को बना

[श्री सुरेश पचौरी]

उसके बाद फिर दुबारा यह 23–8–1990 को बना । इस बीच में इसमें 12 मीटिंग हुई। उनकी क्या प्रगति है ? इस पर गौर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है । इसके अतिरिक्त 452 जिलों में हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए, जबकि 468 जिले हमारे यहां हैं ? तो सारे जिलों में यह फोरम क्यों नहीं बन पाये और इन जिलों में डिस्ट्रिक्ट फोरम बनने में इतनी देर क्यों हुई ? इस बात का भी आंकलन करना जरूरी है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले समय में जब-जब कंज्यूमर मूवमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर चर्चा हुई है, हमने हमेशा इस मुद्दे को उठाया है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां डिस्ट्रिक्ट फोरम का निश्चित समय में गठन नहीं हो पाया है । मैं जिस प्रदेश से आता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उस प्रदेश का मैंने जिक्र भी किया था कि वहां की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने निश्चित अवधि में डिस्ट्रिक्ट फोरम का गठन पूरा पूरा नहीं किया था, जो बाद में सभी राज्यों में, सभी जिलों में, डिस्ट्रिक्ट फोरम का गठन हो गया । तो एक बात यह थी कि जिस मंशा से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 बना था, उससे जो परिणाम निकलने थे वह परिणाम नहीं निकल पाए । उसमें व्यवधान पैदा हुए, उसमें कमियां रहीं और अब 1993 में इसका अमेंडमेंट फोरम आ रहा है । ताकि उन कमियों का सामना न करना पड़े । तो इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो हाई पावर वर्किंग ग्रुप बना, उसकी क्या संस्तुति थीं, क्या रिकमंडेशन थीं और इन रिकमण्डेशन का क्यों पालन नहीं हो पा रहा है, इस बारे में मंत्री जी जरूर प्रकाश डालने की कृपा करें, जब वह अपना उत्तर दें । इसी के साथ-साथ और भी बातें हैं, जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मंत्री जी, आपने कुछ राज्यों में वित्तीय मदद देने का प्रावधान किया और यह वित्तीय मदद रुपए 3 लाख 30 हजार रुपए की पांच राज्यों को आपने दी, जिसमें तमिलनाड, अरूणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और सिक्किम आते हैं, जो एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन उपभोक्ता तो उपभोक्ता होता है, हर राज्य में रहने वाला जो नागरिक है वह उपभोक्ता की श्रेणी में आता है । यदि हम उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करते हैं तो जो मैनुफैक्चरार होता है या ट्रेडर होता है या शोपकीपर होता है वह भी किसी न किसी नजरिए से, किसी न किसी रूप में, इस रूप में या उस रूप में उपभोक्ता ही हुआ करता है। तो आखिर यह विसंगति क्यों है कि केवल पांच राज्यों को आपने तीन लाख तीस हजार रुपये देने का प्रावधान किया है और अन्य राज्यों को इससे अलग किया है ? मैं चाहूंगा कि अन्य राज्यों का भी समावेश करने की आप कृपा करें ।

उपभोक्ता संरक्षण के प्रति लोगों में जन-जागृति आये, इसके लिये आपने तीन नेशनल अवार्ड प्रारंभ किये हैं, वह अपने आप में एक अच्छा कदम है और इसको मैं सराहना करता हूं । लेकिन बजटरी प्रोविजन जो है, बजटरी प्रोविजन यद्यपि आपने बढ़ाया है जो पहले पांच लाख रुपये था 1986 में, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, वह बढ़कर 1992–93 में एक करोड़ हो गया और 1993–94 में 1.10 करोड़ है, मेरा कहना यह है कि यह पर्याप्त नहीं है । इसके लिये आपको वित्त विभाग से निश्चत रूप से पहल करनी पड़ेगी कि यह जो बजटरी प्रोविजन है, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आप अमेंडिट फार्म में यही सदन के माध्यम से पास करने जा रहे हैं, इसमें जो सारी चीजों का समावश किया है, वह इस वित्तीय परिधि के अन्तर्गत पूरा सभव नहीं हो पायेगा । आपकी जो मंशा है, जिस मंशा को ध्यान में रखते हुये आप यह बिल यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, वह पूरी हो पाये इसके लिये इस बजटरी प्रोविजन को बढाना बहुत आवश्यक है ।

कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष

हम लोग जग-जागरण के लिये, आम इंसान को उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी देने के लिए हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सेमिनार करते हैं, अलग-अलग कार्यक्रम करते हैं। टेलीविजन के माध्यम से और जो दूसरे हमारे प्रचार के माध्यम हैं, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने लोगों को जागृत करने के लिये कई कार्यक्रम बनाये हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो निश्चत रूप से हैं तो इंफारमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग विभाग से संबंधित, लेकिन वह आपके उपभोक्ता संरक्षण के कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाते हैं, परन्तु ऐसा होता आया है कि उन कार्यक्रमों को पीछे यानी आड टाइम में दिखाया गया है दूरदर्शन में जबकि आम पब्लिक, जिसका सरोकार उपभोक्ता संरक्षण से है, वह सो जाया करती है – रात 10:00 बज के बाद। पहले वे उससे पहले समय में दिखाये जाते थे कुछ सीरियल्स बने थे, लेकिन वे बाद में दिखाये जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपने जिस मकसद को ध्यान में रखते हुये जन जागति करने के लिए इस प्रकार के जिन कायक्रमों को प्रोत्साहन दिया है, निश्चित रूप से आप अपनी तरफ से पहल करगे कि वह कमी दूर हो पाए।

विदेशों में खासतौर से इंग्लैंड में, अमरीका में, न्यूजीलैंड में, आस्ट्रेलिया में उपभोक्ताओं के हितों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है और उन हितों को मद्देनजर रखते हुए ही हमारे यहां समय-समय पर यह कानून बनाये गए। उनका भी हवाला पिछले समय कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब 1986 प्रस्तुत किया था तत्कालीन मंत्री जी ने तो उन्होंने हवाला दिया था कि विदेशों में भी उपभोक्ताओं को किस-किस प्रकार के अधिकार दिये गए हैं। 1991 में भी आपने ज्युडिश्यरी की थी टायर सिस्टम किया, लेकिन इसमें जो तीन-चार वि-संगतियां हैं, उनकी चर्चा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहली बात तो यह है, जिसका उल्लेख मेरे से पूर्व वक्ता सुषमा जी ने किया कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम्स हैं, जो स्टेट लेवल के फोरम्स हैं, वह जो निर्णय कर देते हैं, उनको चैलेंज करने के लिये जो ट्रेडर्स होते हैं, जो स्टाकिस्ट होते हैं, वे कोर्ट में चले जाया करते हैं और वहां से उस कार्रवाई को वे स्थगन ले लेते हैं। जब हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की फोरम में कौन-कौन सदस्य रहेंगे, स्टेट लेवल की फोरम में कौन कौन सदस्य रहेंगे, नेशनल फोरम में कौन-कौन लोग रहेंगे, उनमें भी ज्युडिश्यरी का प्रावधान किया है तो मैं नहीं समझता कि एसी व्यवस्था की गुंजाशें होनी चाहिये कि लोग कोर्ट में चेलेंज करने के लिये या उस निर्णय को परिवर्तित करने के लिये चले जाएं जो निर्णय डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम के माध्यम से किया गया है। इस विसंगति को दूर करना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। इस पर निश्चित रूप से माननीय मन्त्री जी विचार करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है।

इसके अलावा जो आप अभी वर्तमान में बिल प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसमें जिन प्रमुख बिन्दुओं पर आपने ध्यान दिया है, उन पर बहुत ज्यादा सर्तकता बरतने की आवश्यकता है। पहली तो यह है कि ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स कम्पनी जो है, वह अक्सर दवा मेन्युफैक्चर करती है। उसी की सील लेकर दूसरी नकली कम्पनी भी दवा मेन्युफक्चर करती है। और उस रेट से सस्ते रेट पर मार्केट में वह दवा उपलब्ध हो जाती है। इससे भी गंभीर बात यह रहती है कि जो एक्सपायरी डेट होती है वह एक्स-पायरी डेट होने पर भी उस दवा की बिक्री मार्केट के माध्यम से हो जाती है, क्योंकि हमारे यहां रेट उतना हाई नहीं है। खास तौर से जो हमारा अनपढ़ उपभोक्ता है, ट्राइबल एरिया का जो उपभोक्ता है वह इस तारीख को नहीं देख पाता है। इसके अतिरिक्त अक्सर वह हिस्सा फाड़ दिया जाता है और इस तरह उन दवाओं की बिक्री हो जाती है। इसका जो प्रावधान आपने इस बिल में किया है वह निश्चित रूप में एक स्वागत योग्य कदम है।

[श्री सुरेश पचौरी]

जो एल०पी०जी० डीलर्स हैं वह भी इस बात के लिये जोर देते थे कि गैस स्टोव उनसे लिया जाना आवश्यक है। इससे भी आपने मुक्ति दिलाई है। वह भी एक अच्छा कदम है। एडवरटाईजमेंट देकर जो पेशेवर लोग थे वह लोगों से पैसा अर्जित कर लेते थे कि हम लोग यह एजेंसी दे रहे हैं, इसके लिये आप इतना पैसा पहले एडवांस में दीजिये और बाद में पता यह चलता था कि वह सब नकली विज्ञापन रहा करते थे और एक छलावे के तौर पर वह सब होता था। इससे कई उपभोक्ता प्रभावित होते थे और सोचते थे कि इसका स्कोप है।/तथा एल०पी०जी० की नई डीलरशिप शुरू हो गई है। तो वह अलग-अलग प्राईवेट कम्पनी के नाम पर एडवरटाईजमेंट दे देते हैं और कह देते हैं कि आपको पहले 5 हजार रुपये का ड्राफ्ट भेजना होगा और तब बाद में पता चलता था कि उस नाम की कोई आथोराइज्ड एजेंसी ही नहीं है जो कि दूसरों को डीलरशिप देती हो। उसके लिये भी आपने जो यह प्रावधान किया है, वह भी एक अच्छा कदम है।

मकानदार और किरायेदार से संबंधित जो परेशानी हैं, उस पर जो आपने अपना ध्यान केन्द्रित किया है, वह बहुत आवश्यक भी था। अक्सर यह देखा जाता है कि जो बिल्डर्स हैं वह मकान बना देते हैं लेकिन उनमें पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराते, जो कि पूरे मकान में एक परिवार के लिये आवश्यक होती है। जैसे शौचालय की व्यवस्था है, स्टोर की व्यवस्था है और किचिन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जो दीवार होती है उसमें सीलन आती रहती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों का शिकार किरायेदार को होना पड़ता है। इन चीजों से मुक्ति दिलाने के लिये भी जो प्रोविजन इस बिल में किया है वह अच्छा कदम है जिससे उपभोक्ता फोर्म में जा सके और अपनी बात रख सके और उस मकानदार को सजा दिला सके।

इसके अलावा और भी जो विसंगतियां थी, उनको दूर करने के लिए इस बिल में जो आपने कदम उठाए हैं, जैसे कि अन-फेयर ट्रेड प्रेक्टिस हैं और जो सर्विसेज में कमियां हैं जिसका उल्लेख भी सुषमा जी ने किया है, उनको दूर करने के लिये आपने जो इस बिल में व्यवस्था की है, वह एक अच्छा कदम है। साथ ही जो लोग झूठी शिकायतें फैशन के तौर पर कर देते हैं, उसका उल्लेख भी आपने अपने इस बिल में किया है और उसमें धारा 26 का जो आपने प्रतिस्थापन किया है वह एक अच्छा कदम है। साथ ही जो सलेक्शन कमेटी है उसमें जो नान-जुडिशियल मेंबर्स हैं, उनको रखने का जो आपने प्रोविजन किया है वह भी एक अच्छा कदम है और साथ ही कंज्यूमर फोर्म की जो वित्तीय अधिकार आपने बढ़ाने की बात की है, वह एक अच्छी पहल है। 20 लाख रुपये से जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड की आपने शुरूआत की है और उसके माध्यम से जो कई वोल्यूंटरी आर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि कंज्यूमर प्रोटक्शन के लिये काम कर रही है, उसमें निश्चित रूप से उनका उत्साहवर्धन होगा, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन यह राशि पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो वोल्यूंटरी आर्गनाइजेशंस के क्षेत्र में काम कर रही है उनके लिये 20 लाख रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं। दरअसल, बीस लाख रुपये तो 5–6 जो बड़े राज्य हैं उसमें जो कंज्यूमर्स से कंसर्न्ड वोल्यूंटरी आर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, उन्हीं पर खर्च हो जायेगा। इसलिए इस राशि को भी बढ़ाने पर आप विचार करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं कुछ आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कम्प्लेंट्स की संख्या 1992 में अलग-अलग राज्यों में क्या है और उनका डिस्पोजल किस गति से हुआ है। गुजरात में 1177 कंप्लेंट्स फाईल की गई और उनमें से 551 का डिस्पोजल हुआ। महाराष्ट्र में 1184 कंप्लेट्स फाईल की गई और उनमें से 444 का डिस्पोजल हुआ। मध्य प्रदेश में 107 में से 32 कंप्लेंटस

का डिस्पोजल हुआ और उत्तर प्रदेश में 1035 में से 509 कंप्लेंट्स का डिस्पोजल हुआ । दिल्ली में 1240 कंप्लेंट्स फाईल की गई और उनमें से 534 का डिस्पोजल हुआ । ये ऐसी गति है जिसमें इप्रूवमेंट की जरूरत है । यदि ओवरहाल फिगर हम देखें तो एक लाख, 5096 में से 4354 कंप्लेंट्स का डिस्पोजल हुआ है । हिमाचल में 7000 कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं । यह आपके शासन काल की बात है ... (**व्यवधान**

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश) : हमने तो सहकारी संस्थाएं बनाई थीं और उनको राशन की दुकानें दिलाई गई थीं ... (**व्यवधान**)

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, अभी मेरे माननीय साथी ने सहकारी संस्थाओं को राशन शाप देने की बात उठाई । पहले जो सरकारी दुकान मिली हुई थीं उनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो विकलांग थे, जिनमें विधवा महिलाएं थीं, तलाकशुदा महिलाएं थीं । उनकी दुकानें छीनकर ईर्ष्या और द्वेष की भावना से प्रेरित होकर, राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कोआपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से आर.एस.एस. के पट्ठों को मध्य प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर दुकानें दी गईं जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर दें तो वह इस बात को स्पष्ट करें कि कोआपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से जिन लोगों को दुकानें दी गई हैं, क्या उनकी शिकायतें लगातार मिल रही हैं ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : जो कांग्रेसी लाखों रुपये कमा रहे थे, उन कांग्रेसियों की दुकानें छीनकर हमने सहकारिता के आधार पर दुकान दी थीं । सहकारिता आंदोलन में तुमने आग लगा दी है ।

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, मानवीयता के नाम पर इससे बड़ा कोई कलंक नहीं हो सकता है कि वह अपाहिज गो अपने ... का लालन-पालन उस दुकान के माध्यम से करते थे, उनकी दुकानें इन्होंने छीनीं और अपने आर.एस.एस. के पट्ठों को सोसायटी बनाकर दे दी ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : अपाहिजों की तो दुकानें वसी की वसी रहीं । हमने कांग्रेसियों की दुकान छीनीं और सहकारिता आंदोलन को प्रोत्साहित किया ।

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, कोआपरेटिव सोसायटीज को जब ये देते थे तो कांग्रेस की सोसायटी ; को इन्होंने नजरअंदाज किया । उनको दुकानें नहीं दीं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : कोआपरेटिव तो कोआपरेटिव है, चाहे वह कांग्रेस की हो या कोई और हो ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : इन्होंने जड़ खोदी हैं । इन्होंने सहकारिता आंदोलन की जड़ खोदी हैं ।

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, अभी न्यायालय ने निणय दिया है और जिन लोगों की दुकानें छीनीं थीं उनको वापस दे दिया है । मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उपभोक्ता के लिए आवश्यक यह होता है कि उस को सही दाम पर, सही समय पर, सही रूप में उसके लिए जो आवश्यक वस्तु हैं उसको मिले । सही समय पर मेरा आशय यह होता है कि राशन शाप्स के माध्यम से जो राशन आप उनको देते हैं पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते उपभोक्ताओं को सामग्री मिलनी चाहिए लेकिन वह उपलब्ध नहीं होती है। उस के पीछे वास्तविकता यह रहती है कि लेबर क्लास को पेमेंट दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में होता है । तब तक राशन शाप वाला यह कह देता है कि राशन पहले हफ्ते में खत्म हो गया था दूसरे हफ्ते में खत्म हो गया और वह सामान ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है । इसलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो राशन शाप्स का वितरण किया जाता है यह देखा जाना आवश्यक है, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि जो थोक ... जैसे मिसाल

[श्री सुरेश पचौरी]

के तौर पर जो चावल और गेहूं के व्यापारी हैं उनसे संबंधित राशन शाप्स का आवंटन नहीं करना चाहिए वरना अच्छी क्वालिटी का जो राशन होता है वह उन दुकानों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और वर्स्ट क्वालिटी का और मीडियम क्वालिटी का राशन लोगों को दिया जाता है। सही रूप में मिले, सही दाम पर मिले, सही स्थिति में मिले।

श्रीमन्, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया में जो सड़ा हुआ सामान रहता है, ऐसा उनमें तालमेल हो जाता है कि वह सामान इन दुकानों के माध्यम से लोगों को देकर खपाया जाता है। सही रूप में से मेरा मतलब यह होता है कि एक किलो सामान दिया जाना चाहिए जो 950 ग्राम दिया जाता है। वेट्स एंड मीज़रमेंटस ऐक्ट के अंतर्गत जो नियम बने हैं उनका पालन नहीं किया जाता है, उस पर चौकसी रखना भी बहुत आवश्यक है, मैं इससे पहले कि अपनी बात खत्म करूं यह भी उल्लेख करना आवश्यक समझूंगा और इस बात पर जोर देना आवश्यक समझूंगा कि आम इंसान के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वे उनको मुहैया कराई जा सकें, उन सब चीजों को परिधि में लाना बहुत आवश्यक है। वह चीज क्या हैं, वह चीजें हैं स्वास्थ्य सुविधा, पानी, बिजली की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, जो आवश्यकतायें बुनियादी हैं उनको भी इस बिल के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि फिजिशियंस को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। न करने का अर्थ है कि जो आदमी जिम्मेदार है उनको अप जिम्मेदारी से मुक्ति दिला रहे हैं, उनको उनके उत्तरदायित्व से उसके निर्वहन से मुक्त कर रहे हैं, उस को स्वछंद छोड़ रहे हैं, स्वतंत्र छोड़ रहे हैं कि वह अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करे। इसलिए यह आवश्यक है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो आप लाए हैं और 1986 के ऐक्ट को आप अमेंड करके यहां प्रस्तुत कर रहे हैं तो चिकित्सकों को भी इसमें शामिल करें।

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : सर्जन्स को भी इसमें रखा जाए ....

श्री सुरेश पचौरी : उन लोगों को भी इस बिल में शामिल करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। आपने जो अधिकार कार्यक्रम चलाया है, आपने उपभोक्ता जनजागरण पत्रिका चलाई, उसका मूवमेंट तेज किया जाना बहुत आवश्यक है।

साथ ही आपने धारा 9, 10 और 11 का जो संशोधन किया है वह स्वागत योग्य कदम है। मैं उसका समर्थन करता हूं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि दूरभाष की जो सुविधा है, पानी की जो सुविधा है, बिजली की जो सुविधा है इसको भी किसी न किसी रूप में समाविष्ट इस बिल में करना चाहिए। इस बिल के माध्यम से उन पर अंकुश लगाया जाना बहुत आवश्यक है वरना लोगों की जो बुनियादी आवश्यकतायें हैं, वह उनको मिल नहीं पायेंगी, उनसे वह लाभान्वित नहीं हो पायेंगे। साथ ही जो उपभोक्ता संरक्षण की भावना है जो हमने नया 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है इसमें 21वां सूत्र जो उपभोक्ता संरक्षण का है वह भी रखा जाए तो उन भावनाओं की पूर्ति हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ आपने जो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन बिल 1993 प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं इस आशा और उम्मीद के साथ इसमें जो छोटी मोटी वास्तविकतायें रह गई हैं, आम उपभोक्ताओं की छोटी मोटी परेशानियां रह गई हैं, उनको दूर करने के लिए कोई न कोई निदान निकाल सकेंगे, उसको कोई उपाय निकाल सकेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता संरक्षण विधयक, 1993 पर हम विचार कर रहे हैं। यह संशोधन विधेयक मूल विधेयक में दूसरा संशोधन है। सवा वर्ष पहले ऐसा ही एक संशोधन मंत्री महोदय लाये थे लेकिन वह संशोधन निहायत ही तकनीकी कारणों का था। उस विधेयक के ढांचे में इतनी तकनीकी खामियां थीं कि उसके चलते यह देखा गया कि 1986

के बाद 1991 के इन पांच वर्षों में सिर्फ थोड़ बहुत डिस्ट्रिक्ट मंच, जिला पीठ बने थे और उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। संशोधन विधेयक निहायत ही तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। अब मंत्री महोदय एक व्यापक संशोधन ले कर आये हैं। जब दूसरा संशोधन विधयक आया था उस समय यह मांग उठी थी कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में व्यापक स्तर पर संशोधन की जरूरत है। और उसकी रोशनी में मंत्री महोदय ने एक उच्च स्तरीय कार्यदल स्थापित किया था जिसने कई सिफारिश की थीं। उन सिफारिशों की रोशनी में यह उपभोक्ता संरक्षण विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस नीति प्रस्ताव से प्रेरित होकर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक बनाया गया जिसे हमारे सामाजिक, आर्थिक विधानों के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक का दर्जा दिया गया उस विधेयक की प्रगति के बारे में 1991 में जब हमने चर्चा की थी तो देखा यह गया था कि 5 वर्षों में कुछ दुकानदारियां जरूर खुल गईं, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोग गठित हो गये, कुछ जिलों में में भी जिला मंच गठित हो गये लेकिन व्यवहार में यह विधेयक सिर्फ कोरा कागज ही बना रहा। भारत के उपभोक्ताओं से इसका कोई गहरा सम्पर्क नहीं बन पाया। मैं जिस बात की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वह यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस नीति प्रस्ताव से प्रेरित होकर तमाम देशों की तरह हमने भी अपने देश में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक बनाया हम सभी इस बात से सहमत होंगे या इस बात को जानते हैं कि अर्थ व्यवस्था के नियम सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं होते, इस लिए आपके इरादे कितने ही नेक हों, आपके उद्देश्य कितने ही नेक क्यों न हों उनका कारगर फल हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे नेक उद्देश्यों हमारे सब उद्देश्यों का सम्पर्क हमारे देश की वस्तुगत भौतिक, सामाजिक परिस्थितियों के साथ मेल खाते हों। इस संदर्भ में जब हम उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1993 पर विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो सवाल आता है वह बहुत ही बुनियादी सवाल है। इस बुनियादी सवाल पर 1991 में बोलते हुए मैंने कहा था। आज भी मैं इस बुनियादी सवाल को उठा रही हूं। सवाल यह है कि आप जब उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात करते हैं तो उपभोक्ता क्या है हमारे देश के आम उपभोक्ता की तस्वीर क्या है? हमारे देश के आम उपभोक्ता की तस्वीर क्या हमारी सरकार के सामने है? इस दृष्टि से अगर हम इस उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को देखते हैं तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूं अपने देश के बहुत-बहुत 5.00P.M. ही नगण्य यथार्थ से। यथार्थ क्या है? खुद सरकारी आंकड़ें इस बात के गवाह हैं कि हमारे देश की 35 फीसदी से अधिक आबादी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रही है। हकीकत क्या है कि हमारे देश के गांवों और शहरों के 75 फीसदी से अधिक असंगठित मजदूर सिर्फ दो जून की रोटी जुटाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हमारे कुछ साथी शायद एतराज उठा सकते हैं कि आपने तो फिर वही पुरानी रट लगा दी है। समय बहुत आगे बढ़ गया है विश्व बहुत आगे बढ़ गया है बहुत तेज गति से दौड़ रहा है आपकी गति बहुत धीमी है। मैं यह कहना चाहूंगी कि निःसंदेह विश्व आगे बढ़ गया है, हमारा देश आगे बढ़ गया है, लेकिन जहां तक हमारे देश के गरीब मेहनतकश अवाम का सवाल है, गरीब मेहनतकश जनता का सवाल है, उसकी दुर्दशा में कहीं कोई फर्क नहीं आया है। उसकी जिन्दगी वहीं ठहरी हुई है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : सरला जी, आप और बोलगी या दो-चार मिनट में खत्म कर देंगी?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं बोलना चाहूंगी। c

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): So, you continue tomorrow. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at two minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 27th July, 1993.